न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 12/2013

1. श्री रामदेव
2. श्री रामधन
   पुत्रगण श्री नारायण
3. श्रीमति बद्री देवी पत्नी श्री भंवरलाल
4. श्री नन्दलाल
5. श्री सुरेश
   पुत्रगण श्री भंवरलाल
6. लादी पुत्री श्री भंवरलाल
   समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्री जगदीश पुत्र श्री हरलाल
2. घीसी पत्नी श्री किस्तूर
3. श्री महेन्द्र पुत्र श्री किस्तूर
4. रसाल पुत्री श्री किस्तूर
5. सम्या पुत्री श्री किस्तूर
6. गीता पत्नी श्री महावीर
7. श्री राकेश
8. श्री राजू
   पुत्रगण श्री महावीर
9. बिन्टिया
10. काली
    पुत्रियां श्री महावीर
11. श्री महावीर
12. श्री हनुमान
    पुत्रगण श्री रामलाल
13. श्री पप्पू पुत्र श्री भंवरलाल
    समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
15. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक केकड़ी जिला अजमेर

.....*रेस्पोन्डेन्ट्स*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

दिनांक 13.07.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 717 में अंकित खसरा नम्बर 6495 रकबा 0.44 साबिक खसरा नम्बर 1682 रकबा 0.24 व खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.20 के रेकार्डेड सहखातेदार श्रीमति देऊ व मु0 गलकू पुत्रियां श्री बालू जाति माली की मृत्यु हो जाने पर तहसीलदार केकड़ी द्वारा मृतकों के प्रमाणित सजरे के आधार पर श्री जगदीश पुत्र श्री हरलाल, घीसी पत्नी श्री किस्तूर, श्री महेन्द्र, रसाल, सम्या पिता किस्तूर, गीता पत्नी श्री महावीर, राकेश, राजू, बिन्टियां, काली पिता महावीर व महावीर, हनुमान पिता रामलाल माली के पक्ष में मृतकों के हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 2380 दिनांक 17.05.2012 को स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 17.05.2012 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में मय धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0 दी0 के पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किए गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 13 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

मियाद के बिन्दु व धारा 96 सी.पी.सी. पर पैरोकार सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने के साथ ही धारा 96 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि मृतकों द्वारा विवादित भूमि का विक्रय अपने जीवनकाल में अपीलान्ट्स व अप्रार्थी संख्या 13 के दादा श्री नारायण पुत्र श्री हजारी माली को दिनांक 23.01.1987 को कर विक्रय पत्र उसी दिन टंकित करवा लिया था तथा विक्रयशुदा भूमि का कब्जा व दखल क्रेता को संभला दिया था किन्तु उपपंजीयक महोदय के नहीं होने के कारण उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो सका, इसी दौरान विक्रेता मु0 गलकू पुत्री बालू की दिनांक 07.05.1987 एवं मु0 देऊ पुत्री बालू की भी दिनांक 23.01.2002 को मृत्यु हो गई। अपीलान्ट्स द्वारा मृतक के वारिसान को विक्रयशुदा भूमि का पंजीयन करवाने हेतु बार—बार निवेदन किया गया किन्तु उनके द्वारा टालमटोल की नीति अपनाई जाती रही, इसी दौरान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विक्रेता द्वारा दिनांक 23.01.1987 को ही क्रयशुदा भूमि का कब्जा संभला दिया गया था तथा क्रय दिनांक से आदिनांक तक अपीलान्ट्स विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे बाबत् किसी प्रकार की जांच नहीं की गई, जबकि विवादित भूमि बाबत् एक सिविल वाद उनवानी रामदेव वगैरह बनाम जगदीश वगैरह सिविल न्यायाधीश (क0 ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि बाबत् दोनों पक्षकारान् के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन है जब तक नियमित वाद का अन्तिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक नामान्तरकरण की कार्यवाही जो कि Fiscal Procceeding मात्र है, को स्थगित रखा जाना चाहिये ताकि पक्षकारों के मध्य व्यर्थ की मुकदमें बाजी नहीं हो सके। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व लैण्ड रेकार्डस रूल्स के नियमों की विधिवत रूप से जांच नहीं की, न ही मृतकों के उत्तराधिकारियों के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय श्रेणी के वारिस अथवा पारिवारिक सजरा तथा वंशावली के संबंध में नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में कोई अंकन नहीं किया है केवल सरसरी तौर पर रेस्पोन्डेन्ट्स के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि बाबत् एक दीवानी वाद उनवानी रामदेव बनाम जगदीश वगैरह का सिविल न्यायाधीश(क0 ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी के न्यायालय में विचाराधीन है जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिनांक 04.05.2013 को उक्त न्यायालय द्वारा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनों पक्षों को विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये है। उनका कथन है कि सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के पश्चात् नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बाबत् एक दीवानी वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0 ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी के समक्ष उनवान रामदेव वगैरह बनाम जगदीश वगैरह विचाराधीन है जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिनांक 04.05.2013 को न्यायालय द्वारा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनों पक्षों को विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के साथ ही विवादित जायदाद को किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय या अन्तरित नहीं करने के आदेश पारित किए है। सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी रहने से विवादित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner